रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102020-222533
CG-DL-E-17102020-222533

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 16, 2020/ आश्विन 24 1942
No. 300] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ ASVINA 24, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2020

विषय: प्राकृतिक गैस विपणन सुधार।

अन्वेषण-15022(13)/234/2019-ओएनजी-डीV (पी-32114).—भारत सरकार प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाने, गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने, गैस का बाज़ार मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में एकरूपता लाने तथा

पारदर्शी तरीकों से करना अपेक्षित है। संविदाकार ई-बोली के माध्यम से घरेलू रूप से कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्राकृतिक गैस विपणन सुधारों को एतद्वारा अधिसूचित करती है:

1. संविदाकार संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार ई-बोली के माध्यम से प्राकृतिक गैस की बिक्री कर सकता है जिसके लिए बाज़ार मूल्य का निर्धारण उत्पादित प्राकृतिक गैस का बाज़ार मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा:

i) संविदाकार सरकार द्वारा अधिसूचित पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया का पालन करके बाज़ार मूल्य निर्धारित करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक बोली पोर्टल के माध्यम से बोलियां आमंत्रित करवाएगा।

ii) बोली हाइड्रोकार्बन महा निदेशालय (डीजीएच) द्वारा रखे गए पैनल से चयनित स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से आयोजित की जाएगी। डीजीएच एक खुली और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करके पैनल के लिए एजेंसियों का चयन करेगा।

2. सभी संविदाओं में 'आर्म्स लेंथ बिक्री' की परिभाषा को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"इस संविदा के लिए 'आर्म्स लेंथ बिक्री' का तात्पर्य सरकार द्वारा यथा-निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया का पालन करते हुए क्रेता और विक्रेता पक्षकारों, जो कानूनी रूप से एक ही कंपनी नहीं हों, के बीच की गई पेट्रोलियम की बिक्री से होगा। संविदाकार अथवा उसकी संघटक कंपनियों को की जाने वाली बिक्री को आर्म्स लेंथ बिक्री नहीं माना जाएगा।"

परिणामस्वरूप, सभी संविदाओं में यह संशोधन हो गया है।

3. यदि संबद्ध कंपनियां पैरा 1 में निर्धारित खुली प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया में भाग लेती हैं तो संबद्ध कंपनियों को बिक्री की अनुमति होगी। तथापि, संविदाकार अथवा उसकी संघटक कंपनियां बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगी। अत: विक्रेता और क्रेता एक ही कंपनी नहीं होगी। इसके अलावा, यदि केवल संविदाकार की संबद्ध कंपनी (कंपनियां) अथवा उसकी संघटक कंपनियां बोली प्रक्रिया में प्रतिभागी होती हैं और संविदाकार की संबद्ध कंपनी (कंपनियों) अथवा उसकी संघटक कंपनी (कंपनियों) के अलावा अन्य कोई बोलीदाता प्रतिभागी नहीं होता है तो बोली प्रक्रिया वैध नहीं होगी। ऐसी स्थिति में बोली पुन: ओयोजित करनी होगी। इस बदलाव से बिक्री की प्रक्रिया के बारे में सीबीएम से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के संबंध में दिनांक 11 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना का पैरा 1 संशोधित हो जाएगा।

4. उन उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं, जिनमें संविदाकार को मूल्य निर्धारण की आज़ादी है किंतु विपणन की आज़ादी प्रतिबंधित है, से संबंधित ऐसी क्षेत्र विकास योजनाओं (एफडीपीज) से उत्पादित प्राकृतिक गैस के लिए विपणन की आज़ादी दी जाती है जिन्हें दिनांक 28 फरवरी, 2019 से पहले अनुमोदित किया गया था। ऐसी गैस के बाज़ार मूल्य का निर्धारण पैरा 1 में यथा-प्रस्तावित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

5. यह नीति उन संविदाओं/पीएससीज पर लागू नहीं होगी जिनमें संविदाकार द्वारा बिक्री का सूत्र/आधार सरकार से अनुमोदित करवाना अपेक्षित है अथवा संविदाकार द्वारा गैस की बिक्री संविदा की विशिष्ट शर्तों के अनुसार करनी अपेक्षित है।

6. यदि उपर्युक्त संशोधन के संबंध में और अधिक स्पष्टीकरण अथवा व्याख्या अपेक्षित है तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय मंत्री के अनुमोदन से ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है।

अमर नाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2020

Subject: Natural Gas Marketing Reforms

Expl-15022(13)/234/2019-ONG-DV (P-32114).—With the objective of increasing domestic production of natural gas, to move towards gas based economy, bring uniformity in the process of discovery of market prices of gas, and to promote Ease of Doing Business, the Government of India hereby notifies following Natural Gas Marketing Reforms:

1. The Contractor may sell the natural gas through e-bidding as per provisions of Contracts which require market price discovery through transparent means. The Contractor will adopt the following procedure for discovery of market price of domestically produced natural gas through e-bidding:

i) The Contractor shall get the bids invited through an electronic bidding portal to discover market price by following a transparent and competitive bidding process notified by Government.

ii) The bidding will be conducted through an independent agency selected from a panel maintained by Directorate General of Hydrocarbons (DGH). The DGH will shortlist the agencies for the panel by following an open and transparent procedure.

2. The definition of 'Arms Length Sale' in all Contracts shall be replaced as follows:

"Arm's Length Sales" shall mean, for the purpose of this Contract, the sales of Petroleum carried out between buyer and seller parties, not being the same legal entity, following a transparent and competitive bidding process according to procedures as prescribed by Government. The sale to the Contractor or it's constituents will not be considered as Arms Length Sale".

As a result, all contracts stand amended to that extent.

3. Sale to Affiliates will be allowed if Affiliates participate in the open competitive process prescribed in para 1. However, the Contractor or it's constituents shall not be eligible to participate in the bidding process. Therefore, seller and buyer will not be the same entity. Further, the bidding process will not be valid if only affiliate(s) of the Contractor or its constituents are the participant(s) in the bidding process, and there are no bidders other than the affiliate(s) of the Contractor or its constituents. In such a situation, rebidding will have to be done. With this change, the para 1 of Notification dated 11th April, 2017 on Early Monetization of CBM, regarding process of sale, will stand amended.

4. Marketing freedom is granted for natural gas produced from Field Development Plans (FDPs) which were approved before 28th February 2019 pertaining to Production Sharing Contracts (PSCs), where Contractor has pricing freedom but market freedom is restricted. The market price of such gas shall be discovered through the process as proposed in para 1.

5. This policy will not apply to those contracts/PSCs where Contractor is required to get the formula or basis of sale approved from the Government or the Contractor is required to sell the gas as per the specific conditions of the contract.

6. In case of any further clarification or interpretation of the above amendment is required, Ministry of Petroleum and Natural Gas is authorized to do with the approval of the Minister.

AMAR NATH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM